नेहरू और कश्मीर का द्वंद्व

लेखक - डी. श्याम बाबू (सीनियर फेलो, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I (इतिहास) से संबंधित है।

द हिन्दू

11 जुलाई, 2019

"पूर्व पीएम का यह विश्वास कि उनके उत्तराधिकारी न्याय की भावना को सुनिश्चित करेंगे उनकी सबसे बड़ी गलती थी।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने की शुरुआत में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के एक तिहाई कश्मीर से वंचित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। नेहरू को मानने वालों को छोड़कर, अधिकांश स्पष्ट रूप से इस तथ्य से सहमत हैं कि नेहरू ने गलती की थी। हालांकि, यह विडंबना है कि श्री शाह और उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेहरू की कथित दोषिता के एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है अर्थात् उनके कश्मीर से निपटने के मुद्दे पर, जिस पर शायद वह सहानुभूति के हकदार हैं।

जब कोई कश्मीर के बारे में सोचता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या यह जमीन चोरी की है? या हिंदू-मुस्लिम प्रतिद्वंद्विता का एक चिह्न है? या सीमा पार आतंकवाद का मामला है? या शायद दो परमाणु प्रतिद्वंद्वियों के लिए एक युद्ध का मैदान है?

कश्मीर ये सब है और इससे भी अधिक है। हालाँकि, इस अव्यवस्था के कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया जाता रहा है।

नेहरू, कश्मीरी पंडित

सबसे पहले, नेहरू की जानी-मानी धर्मनिरपेक्ष साख को देखते हुए, अगर हम उन्हें एक हिंदू विरोधी के रूप में नहीं देखते हैं तो हम उन्हें एक हिंदू से कमतर मानते हैं। वास्तव में, कश्मीर पर, उन्होंने न केवल अपने सह-धर्मवादियों की रक्षा के लिए एक हिंदू के रूप में काम किया, बल्कि एक कश्मीरी पंडित के रूप में भी काम किया।

1947 में, कश्मीर में संकट की स्थिति - महाराजा हरि सिंह के भारत या पाकिस्तान और राज्य पर पाकिस्तान के आक्रमण में शामिल होने की शिथिलता- ने यह तय किया कि जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के आसन्न नरसंहार को रोकने के लिए नेहरू और भारत सरकार को हर संभव प्रायस करने होंगे।

क्या एक धर्मनिरपेक्ष नेहरू भी इसी तरह की प्रतिकिर्या नहीं दे सकते थे? बिल्कुल वे ऐसा करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) सहित कश्मीर के बाकी हिस्सों को भी आजाद कर सकते थे क्योंकि भारत या तो पूरे जम्मू-कश्मीर पर दावा कर सकता था या कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुछ समय के लिए, भारतीय सेना की कथित अनिच्छुकता उन परिचालन बाधाओं के कारण आगे बढ़ी, जिसने नेहरू को युद्ध विराम के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया।

इसके अलावा, यदि कोई नेहरू के कार्यों को पूरी तरह से सांप्रदायिक दृष्टि से देखता है, तो वह राज्य में हिंदुओं के लिए बेहतर रणनीति की कल्पना नहीं कर सकता है। यह निश्चित रूप से नेहरू के दिमाग में आया होगा कि अगर उन्होंने पीओके को मुक्त कर दिया, तो यह एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जो जम्मू और कश्मीर में को हिन्दुओं को अल्पसंख्यक के रूप में आगे बढ़ाएगा।

जम्मू और कश्मीर के एकीकृत होने का मतलब होगा कि राजनीतिक स्थलाकृति का शानदार प्रदर्शन भी कश्मीरी हिंदुओं की मदद् नहीं करेगा। इसलिए, नेहरू के कार्यों की भाजपा द्वारा आलोचना विडंबना के रूप में सामने आती है।

हैदराबाद समानांतर

1947 से पहले, जम्मू और कश्मीर एवं हैदराबाद राज्य एक-दूसरे के समान्तर थे अर्थात् अल्पसंख्यक समुदाय के एक निरंकुश शासक ने बहुसंख्यक आबादी पर भारी संकट डाला था।

हम अब तक हैदराबाद निजाम के कुशासन के विवरण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कश्मीर पर इसी तरह का प्रकाश डालने में पीछे हटते हैं। इसने कश्मीर समस्या के बारे में हमारी समझ को दो तरह से विकृत कर दिया है।

पहला, कश्मीरी मुसलमानों के बीच के मौजूदा गुस्से को लोगों की भारत विरोधी भावनाएं या पाकिस्तान साजिश के रूप में समझा जाता है। दोनों स्पष्टीकरणों में सच्चाई है। लेकिन वे यह मानने में भी हमें गुमराह करते हैं कि कश्मीर समस्या 1947 के बाद शुरू हुई थी। तथ्य यह है कि सीमा पार से आतंकवाद उपमहाद्वीप के विभाजन से बहुत पहले शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश भारत में मुसलमान, जम्मू और कश्मीर की रियासत में अपने साथी मुसलमानों के साथ जुड़ रहे थे, ताकि उन्हें अच्छा लाभ मिल सके। अगर हम इस तथ्य से परिचित होते, तो हम सुशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते और कश्मीर में लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते।

दूसरा, भारत में इसके प्रवेश के बाद, जम्मू और कश्मीर पर लोकतंत्र को अपनाने के लिए दबाव डाला गया। हालांकि, इसके पास संस्थाएं, सांस्कृतिक स्वभाव और मजबूत नागरिक समाज कभी नहीं थे, जिससे ये लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सके और फल-फूल सके।

त्रावणकोर, बड़ौदा और कोल्हापुर की रियासतों जैसे कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़ दें, तो आजादी से पहले के मूल शासन के तहत अधिकांश क्षेत्र लोकतंत्र के लिए कमतर साबित हुए, जबकि ब्रिटिश भारत ने नियमों पर आधारित शासन का भरपूर आनंद लिया। हैदराबाद और कश्मीर के बीच समानताएं समझने से हमें समस्या के मूल कारण से निपटने के लिए सिर्फ इसके लक्षणों के बजाय एक नया तरीका मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चयन में महाराजा की देरी से पाकिस्तान को सैन्य हस्तक्षेप का सहारा लेना पड़ा।

मुश्किल भरे मोड़ पर

महाराजा के सहायक उपकरण को स्वीकार करने के बाद, नेहरू का मुख्य कार्य हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, खासकर घाटी में। अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद, उसे अपने चयन के समय और स्थान पर युद्ध को समाप्त करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र में गए बिना वह इसे कैसे हासिल कर सकता था?

वह अपने संभावित आंकलन में सही था कि हिंदू, पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रहेंगे और भारत में मुसलमान बेहतर होंगे। उनका मूल्यांकन उनके समय के दौरान सही साबित हुआ था। लेकिन 1947-48 में नेहरू के कार्यों की अग्निशमन प्रकृति को कश्मीर के इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बहाली और पुनर्वास के उपायों के साथ जारी रखना चाहिए था।

समस्या के प्रारंभिक वर्षों के दौरान नेहरू और भारत के पास अपने निपटान में तीन नीतिगत विकल्प थे। वे थे: क) घाटी से दूर हिंदुओं को स्थानांतरित करने के लिए अवसर का उपयोग करना; सांप्रदायिक संघर्ष से बचना होगा, हालांकि लोकतंत्र को फलने में अधिक समय लगेगा; ख) धर्मनिरपेक्ष और उदार लोकतंत्र में एक ऐसा उपशिक्षक, जो सभी के हितों का ध्यान रखे; या ग) नई दिल्ली से प्रबंधित की जाने वाली एक निरंकुश प्रणाली को लागू करना।

पहला विकल्प (निकासी) का प्रयास कभी नहीं किया गया क्योंकि सरकार ने सोचा था कि यह आवश्यक नहीं है और केंद्र को दूसरे विकल्प (लोकतंत्र) का पालन करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में यह तीसरे (प्रत्यक्ष शासन) के बाद समाप्त हो गया।

दुर्भाग्य से, नेहरू के लिए, जम्मू और कश्मीर को कब्जे में लेना - 'एक-तिहाई' कम कर के- अपने आप में एक अंत था, लेकिन यह एकीकरण की लंबी प्रक्रिया की शुरुआत नहीं थी। इसके अलावा, उन्हें भारत की उदार राजनीति की श्रेष्ठता पर बहुत अधिक भरोसा था, जिसका मानना था कि कश्मीरी लोग खुशी-खुशी गले लगा लेंगे। उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के न्याय और समानता पर बहुत अधिक विश्वास था, लेकिन उनका विश्वास गलत साबित हुआ।

CS World
Committed To Excellence

अनुच्छेद 370

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की कश्मीर नीति पर सवाल उठाया।
- उन्होंने अनुच्छेद 370 पर कहा कि यह अस्थायी है, स्थायी नहीं। 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है।
- इससे पहले भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी देने से यह अनुच्छेद सुर्खियों में आ गया था।

क्या है?

- संविधान में शामिल, अनुच्छेद-370 भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता है (केवल अनुच्छेद-1 और अनुच्छेद-370 को छोड़कर) और राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है। इसे 17 अक्तूबर, 1949 को संविधान में शामिल किया गया था।
- यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित करता है।
- इसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन (IoA) में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून का विस्तार करने के लिये राज्य सरकार के साथ 'परामर्श' की आवश्यकता होगी।
- इसे एक अंतरिम व्यवस्था तब तक के लिये माना गया था, जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता।
- राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता अर्थात् रणबीर दंड संहिता है।
- राज्य विधानसभा की अवधि छह साल है, जबकि अन्य राज्यों में यह अवधि पाँच साल है।
- यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है।
- भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू-कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है। संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू-कश्मीर में तभी लागू होगा, जब राज्य विधानसभा की सहमति हो।
- राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं कर देती है।

मुख्य बिंदु

- यह संविधान के भाग XXI का पहला लेख है। इस भाग का शीर्षक श्अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है।
- अनुच्छेद-370 को इस अर्थ में अस्थायी माना जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को इसे संशोधित / हटाने / बनाए रखने का अधिकार था। एक और व्याख्या यह थी कि जनमत संग्रह तक इसे अस्थायी रखा जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2018 में कहा कि 'अस्थायी' शीर्षक के बावजूद, अनुच्छेद-370 अस्थायी नहीं है।

क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन?

- यह तब चलन में आया, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया।
- इसके अनुसार भारत की संसद को केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर जम्मू-कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई।
- अधिनियम के अनुसार तीन विकल्प थे- एक स्वतंत्र देश बने रहने के लिये, भारत के डोमिनियन में शामिल हो या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो तथा यह दोनों में से किसी एक देश में शामिल होने के लिये था।

पृष्ठभूमि

- राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से मदद् मांगी, जिसके बदले कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात की गई।
- हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किये और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्तूबर, 1947 को इसे स्वीकार कर लिया।
- यह भारत की घोषित नीति थी कि जहाँ कहीं भी विवाद हुआ, इसे रियासत के शासक के एक पक्षीय निर्णय के बजाय लोगों की इच्छा के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **अनुच्छेद-370 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य (जम्मू-कश्मीर)में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होता।
2. राज्य के नाम और सीमा को इसकी (जम्मू-कश्मीर) विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
3. यह संविधान के भाग- XXI का पहला लेख है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **In the context ofArticle-370, consider the following statements-**

1. Emergency provision is not implemented in Jammu & Kashmir state on the basis of internal violence without the assent of the state.
2. The boundary and name of the state Jammu & Kashmir cannot be changed without the assent of its legislature.
3. It is the first paragraph of the Part XXI of the constitution.

Which of the above statement is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) 1 and 2 (d) All of the above

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्नः भारत की कश्मीर समस्या, जो सात दशक पहले शुरू हुई, आज भी विद्यमान है। क्या इस समस्या का निराकरण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु द्वारा किया जा सकता था? इस सन्दर्भ में समस्याओं को गिनाते हुए अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

Q. The Kashmir problem of India that started seven decades ago is also prevalent today. Could the problem have been solved by the Ex-Prime Minister Jawahar Lal Nehru. In this context, explaining the hurdles, present your reasoning. (250 Words)

नोट : 10 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Comi